

संचालनालय आयुष, म0प्र0
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755) 2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक: 10/11/2023

-विज्ञप्ति-

-स्नातकोत्तर तृतीय चरण (स्टेट कोटा) काउंसिलिंग कार्यक्रम-
-एमडी/एमएस आयुर्वेद/एमडी होम्योपैथी/एमडी यूनानी/एमडी नैचरोपैथी एवं योग-

म0प्र0 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2023 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली/म0प्र0 शासन आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत तृतीय चरण का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-


| क्रमांक | विवरण | दिनांक एवं समय |
|---------|---|---|
| 1 | पंजीयन | दिनांक 23/11/2023 से 26/11/2023 |
| 2 | अभिलेख सत्यापन | दिनांक 23/11/2023 से 27/11/2023 सायं 06 बजे तक (रविवार छोड़कर) |
| 3 | मैरिट सूची का प्रकाशन | दिनांक 29/11/2023 |
| 4 | रिक्त सीटों की स्थिति | दिनांक 29/11/2023 |
| 5 | अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्चाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट) | दिनांक 30/11/2023 से 03/12/2023 |
| 6 | सीट आवंटन | दिनांक 08/12/2023 दोपहर 12 बजे |
| 7 | महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि | दिनांक 09/12/2023 से 11/12/2023 सायं 06 बजे तक |
| 8 | प्रवेश निरस्तीकरण | दिनांक 09/12/2023 से 11/12/2023 |

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- 3- सचिव, एनसीआईएसएम, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक/Ref No AIAPGET/COE/2023 दिनांक 09/11/2023 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशतक सीमा को 05 प्रतिशतक कम किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित नवीन प्रतिशतक सीमा के अनुसार अभ्यर्थी पंजीयन करारक काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं:-

| Sno | Category/Class | Minimum Cut-off Percentile |
|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1 | UR/EWS | 45 Percentile |
| 2 | OBC/ST/SC | 35 Percentile |
| 3 | UR-PwD/EWS-PwD | 40 Percentile |
| 4 | OBC-PwD/ST-PwD/SC-PwD | 35 Percentile |


- 4- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान (पीजी) महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।


10/11/23

//2//

- 5- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- 6- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल- www.ayush.mponline.gov.in का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


प्र0सयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0